BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 30 सितम्बर 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के 01 आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त इरशाद उर्फ हप्पू पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मौ0 पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी से दिनांक 14.07.2016 को अवैध बन्दुक बरामद हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर मुअसं-356/16 धारा- 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। जिसमें पुलिस द्वारा दिनांक 04-09-2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.09.2023 को मा0 न्यायालय, एडीजे-3 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त इरशाद उर्फ हप्पू को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण कुमार राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर